

प्रश्न- 'राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ असीमित नहीं हैं।' इस कथन के आलोक में क्षमादान की शक्तियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द)

'The pardoning power of the President is not unlimited.' Critically evaluating the pardoning powers in the light of statement.

(250 Words)

मॉडल उत्तर

- भूमिका में क्षमादान को स्पष्ट कीजिए।
- अगले पैरा में क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख कीजिए।
- फिर अगले पैरा में आलोचनाओं को स्पष्ट कीजिए।
- अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है, जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी करार दिए गए हैं-

- संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में
 - सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में, और
 - यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो
- ⇒ **राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ हैं-**
- क्षमा-अपराधी को सजा मुक्त करना
 - लघुकरण-दण्ड के प्रकार को बदलकर हल्के प्रकार का दण्ड देना
 - परिहार-दण्ड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना
 - विराम-किसी मानवीय तथ्य के आधार पर क्षमादान देना
 - निलंबन-मृत्युदण्ड को लागू होने से रोक देना
- ⇒ क्षमादान की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रीपरिषद की सलाह पर करता है।
- ⇒ अपराधी को राष्ट्रपति के सामने मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है।
- ⇒ राष्ट्रपति अपने निर्णय का कारण बताने के लिये बाध्य नहीं है।
- ⇒ **राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति आलोचना-**
- राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है (अनुच्छेद 50)
 - यह न्यायपालिका की गरिमा को कम करती है।
 - भारत में एक सुनिर्धारित न्यायिक प्रणाली है जिसमें अनेक स्तरों पर अभियुक्त को स्वयं को निर्दोष प्रमाणित किए जाने का अवसर दिया जाता है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम माना जाना चाहिए।
 - विगत कुछ वर्षों में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के विवादित होने का प्रमुख कारण दया याचिका को लंबे समय तक लंबित रखा जाता है तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति स्वयं विरोधाभासपूर्ण हो जाती है।

अंत में संक्षिप्त, संतुलित व सारगर्भित निष्कर्ष दें।

नोट:- प्रश्नानुसार उत्तर के सभी बिन्दुओं को समाहित किया गया है, निर्धारित शब्द सीमा में व्यवस्थित कर विश्लेषण कर सकते हैं।